दो असरदार माध्यम

शिविर और कार्यशाला

सुहास कुमार

बातचीत करने, अनुभव बांटने, मुद्दे विशेष पर बहस व सोच-विचार आदि करने के लिए शिविर और कार्यशाला बहुत कारगर माध्यम हैं। इनमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कार्यशाला से हम समझते हैं कोई काम सिखाने के बारे में होगी और शिविर में किसी विषय की जानकारी दी जाएगी। व्यवहार में जहां तक महिला आंदोलन की बात है दोनों का एक ही मतलब और मक़सद है।

किसी भी मुद्दे पर शिविर का आयोजन किया जा सकता है, जैसे स्वास्थ्य या कानूनी जानकारी, कर्जा मिलने और बैंकिंग की सुविधा, रोजगार के साधन विशेष, कला या कुशलता का प्रदर्शन व प्रशिक्षण।

सबको अपनी-अपनी बात कहने-सुनने का मौका देने के लिए जरूरी है कि समूह बहुत बड़ा न हो। शिविर या कार्यशाला में 20-25 की संख्या काफी है। समूह ज्यादा बड़ा हो तो प्रतिभागी दो-तीन समूहों में बंट सकते हैं।

जरूरी है कि ट्रेनिंग देने वाली और ट्रेनिंग ग्रहण करने वाली इतनी घुल-मिल जाएं कि यह महसूस न हो कि कुछ औरतें कम सक्रिय भाग ले रही हैं। शिविर जानकारी, जागरुकता और संगठन के उद्देश्य से भी हो सकता है।

कानूनी जानकारी शिविर

मदुराई (तमिलनाडु) में 'पाछी' ट्रस्ट गांवों में कानूनी जानकारी देने के लिए दो-दो दिन के शिविर लगाता है। शिविर का मक़सद है औरतों को आसान शब्दों में कानूनी जानकारी देना ताकि वे उसे काम में ला सकें। इसके लिए उनका संगठित होना भी जरूरी है।

शिविर में महिला संगठनों की औरतें आती हैं। उन्हीं गांवों में कानून शिविर लगाए जाते हैं जिनमें उनके स्वास्थ्य व विकास-संबंधी कार्यक्रम चल रहे हैं। शिविर में उन्हें पारिवारिक कानून, जमीन-संबंधी कानून, तलाक और विच्छेद संबंधी कानून और मजदूरी अधिनियम आदि की जानकारी दी जाती है।

शिविर में पहले उन्हें मूल भारतीय वैधानिक प्रणाली के बारे में बताया जाता है। यह प्रणाली कैसे विकसित हुई और कैसे काम करती है? फिर दहेज-प्रथा, स्त्रियों के खिलाफ़ जुर्म और अत्याचार के बारे में विस्तार से चर्चा होती है। कानूनों के अलावा चर्चा के अन्य विषय भी होते हैं, जैसे बाल विवाह का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक असर, इस कुप्रथा को कैसे रोका जाए, कानून कैसे लागू किया जाए जिससे यह प्रथा खत्म की जा सके।

जमीन और श्रम-संबंधी कानूनों पर भी चर्चा होती है। किस तरह ठेकेदार और जमींदार औरतों की कानूनी अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं। वास्तविक स्थिति क्या है और कैसे उसमें बदलाव लाया जा सकता है। इन सब पर जानदार बहस होती है। कानून मर्दों का पक्ष लेता है, आमतौर से यही धारणा है। औरतें कानून का उपयोग कर इसमें बदलाव ला सकती हैं। कानून ज्यादा सफलतापूर्वक लागू हों, इसके लिए इसकी जानकारी जनसाधारण को देना जरूरी है। शिविर में जानकारी देने के लिए जाने-माने और जन समर्पित जज व वकील बुलाए जाते हैं।

आपसी चर्चा

शिविर में खास केसों पर बातचीत होती है। किस तरह घर की चार दीवारी में बंद औरतों ने हिचक छोड़कर कानूनी लड़ाई लड़ी और इंसाफ पाया। इस चर्चा से औरतों में हिम्मत और अपने पर भरोसा बढ़ता है। कानून को आसान बनाकर समझाने के लिए चार्ट व नुक्कड़-नाटक की मदद ली जाती है। औरतों को सरकार की ओर से मिलने वाली कानूनी और मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में बताया जाता है।

शिविर में भाग लेने के बाद औरतें अपने गांव वापिस जाकर अन्य औरतों को जानकारी देती हैं। इस तरह जानकारी काफी औरतों तक पहुंच जाती है। कानूनी पक्ष पर कई तरह के प्रोग्राम (नुमाइश, नाटक) किए जाते हैं। धीरे-धीरे औरतें जागृत हो रही हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। वे अपने हकों के लिए संगठित हो रही हैं। शिविर में प्रशिक्षित औरतें मशाल बनकर अपने इलाकों में रोशनी फैला रही हैं।

विकास संबंधी कार्यशाला

पिछले साल बंगलौर में औरतों के विकास संबंधी एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें आंध्रप्रदेश, बिहार, उड़ीसा व तमिलनाडु की 46 औरतों ने भाग लिया। आसानी के लिए उन्हें चार समूहों में बांटा गया।

कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य थे—

1. देश के सामाजिक व राजनैतिक ढांचे के बारे में समझ और जागरुकता बढ़ाना और बताना कि किस तरह औरतों के जीवन पर असर पड़ता है।
2. विकास के आयाम।
3. चारों राज्यों में महिला कार्यकर्त्ताओं का जाल बिछाया जाए जिससे औरतों को विकास का लाभ मिल सके।
4. औरतों की एक टीम बनाई जाए जिसका काम लिंग-भेद संबंधी मुद्दों पर नजर रखना और उसे न होने देना हो।

स्त्रियां और विकास, महिला आंदोलन, महिलाएं और कानून, महिलाएं और स्वास्थ्य, महिलाएं और संचार के माध्यम, महिलाएं और धर्म आदि विषयों पर खुलकर चर्चा हुई।

एक दूसरे को जानने व समझने में उन्हें दो दिन लगे। फिर तो छोटे-छोटे समूह बनाकर गाना-बजाना, कहानी, गप्पें और चर्चाएं हुईं। गंभीर विषयों पर चर्चा के साथ-साथ यह सब भी चलता था जिससे वे तरोताज़ा महसूस करती थीं।

ज्वलंत मुद्दे

कार्यशाला के आखीर में सब प्रतिभागियों को कागज पर अपने-अपने विचार लिखने को कहा गया। उससे नीचे लिखी बातें उभरीं—

1. कानून के बारे में बुनियादी जानकारी देने की बहुत जरूरत है। औरतों को, खासकर ग्रामीण स्तर पर बहुत कम जानकारी है।
2. संचार माध्यमों, अखबारों, टी. वी., रेडियो आदि पर बातचीत शहरी ज्यादा होती है। गांव संबंधी अधिक होनी चाहिए।
3. स्वास्थ्य कार्यशालाएं ज्यादा होनी चाहिएं। यह ऐसा मुद्दा है जिससे अन्य सब मुद्दे जुड़े हैं। गांवों और शहरों में गरीब औरतों के लिए कार्य करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को ट्रेनिंग स्वयंसेवी संस्थाएं दें।
4. स्त्रियों को संगठित करने के तरीकों की चर्चा की जाए।

5. मध्यवर्ग की बजाए निम्नवर्ग की समस्याओं पर ज्यादा चर्चा की जाए।
6. धर्म के बारे में चर्चा से काफी जानकारी मिली। इससे गांवों में अंध विश्वास और गलत विश्वासों को दूर करने में मदद मिलेगी।
7. कार्यशाला से औरतों ने अपनी ताकत को जाना।
8. अपने पर भरोसा बढ़ा है जिससे आगे का काम और ज्यादा उत्साह से हो सकेगा।
9. हमें और ज्यादा सीखने व जानने की उत्सुकता बढ़ी। काम करने की इच्छा भी बढ़ी।

कविता, नाटक आदि लिखने के लिए भी कार्यशाला की जा सकती हैं। कार्यशाला में लोग मिलजुल कर काम करते हैं, इससे काम रुचिकर और आसान हो जाता है। काम के अलावा आपस में संगठन की भावना का भी विकास होता है और बहनचारा बढ़ता है।

सबला संघ

सबला संघ, नई दिल्ली की सदस्याओं ने एक कार्यशाला में सुश्री आयन लाल की मदद से एक नाटक तैयार किया। नाटक का विषय और शीर्षक था "औरत और धर्म"। औरतें चाहे किसी भी धर्म की हों, उनका दर्जा पुरुषों से नीचा ही है। किसी भी धर्म ने उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया। रीति-रिवाज व मर्यादाएं औरतों पर ही लादी जाती हैं। धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं जिसके नतीजे औरतें भुगतती हैं।

समूह की कई औरतें कार्यशाला में मिलकर बैठीं और एक के बाद एक लाइन जोड़ती गईं। इस तरह नाटक का जन्म हुआ। पूरे नाटक में कई मुद्दों को उठाया गया जैसे औरत-मर्द का दर्जा बराबरी का न होना, लड़के-लड़की के पालन-पोषण में अंतर, अंधविश्वास, रीति-रिवाजों में बेकार के खर्च, विधवाओं पर रोकटोक आदि।

आखीर में स्त्रियां सवाल करती हैं कि उन्हें क्यों दबाया जाता है? कभी धर्म तो कभी समाज, कभी राजनीति तो कभी घर के बड़े-बूढ़े उन्हें दबाते रहे हैं। क्यों? □